न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 01/10 (वि.प्रा.पत्र)

दर्ज दिनांक : 28.01.10 निर्णय दिनांक : 15.07.19

अनवान

1. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री श्यामलाल पिता तुलसीराम पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री दिनेशचन्द्र पिता तुलसीराम पालीवाल ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए एवं धारा 151 जा.दी.

—: निर्णय :—

दिनांक 15.07.2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साकरोदा तह. मावली में स्थित खसरा सं. 1224 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा मुझ प्रार्थी एवं मेरे भाईयों के नाम से दर्ज होकर मुझ प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में आने जाने में रूकावट नहीं करने बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा धारा 212 रा.टि.एक्ट के प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 12/10 में दिनांक 14.01.2010 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखा हैं। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की विपक्षीगण पर तामील हो चुकी हैं। तामील होने के बावजूद विपक्षीगण मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारवालों को उक्त कृषि भूमि में आने जाने नहीं दे रहे है तथा हाथों में तलवार, लकडी लेकर खेत में बैठे हुए है कि अगर प्रार्थी व उसका परिवार आयेगा तो उसको जमीन में आने का मजा चखा

देगें। उक्त दोनों व इनके भाईयों के विरूद्व मुझ प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर फौजदारी मुकदमा न्यायालय न्यायिक मजि. साहब मावली की न्यायालय में विचाराधीन है तथा इनकों शांति बनाये रखने बाबत् पाबन्द कर रखा है इसके बाबजूद विपक्षीगण खुलमखुला न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे है तथा सम्मन की तामील होने के बाद बराबर मुझे मारने की धमकी दे रहे है जिससे प्रार्थी खेत में खडे अपने पौधों की पिलाई नहीं कर पा रहा है और न प्याऊ भर पा रहा है। विपक्षीगण का उक्त कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है तथा विपक्षीगण के विरूद्व न्यायालय की अवमानना बाबत् कार्यवाही विपक्षीगण के कृत्य को देखते हुए आवश्यक हैं।

2. विपक्षीगण दिनांक 25.01.2010 से प्रतिदिन लगातार प्रार्थी को धमकी दे रहे हैं तथा दिनांक 27.01.2010 को भी जब मै खेत पर जाने लगा तो लाठी व तलवार लेकर मुझे मारने के लिये दौडें। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण के विरूद्व आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. के तहत् न्यायालय की अवमानना बाबत् कार्यवाही फरमाई जाकर विपक्षीगण को दण्डित फरमाया जावे और उनकी चल अचल सम्पति कुर्क फरमाई जावें। पुष्ठि में शपथ पत्र पेश हैं।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। पुरी जमीन का स्टे क्यों लिया जबकि 1/3 हिस्सा हैं। 1/3 हिस्से में कोई रोक नहीं है लेकिन बाकि जमीन के लिए हमें रोकना चाहते है। जाग गलत है हमारी जमीन के लिए हमने भी स्टे ले रखा है नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं कोई कोई आदेश का उल्लघंन नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी हैं। न्यायालय के विरूद्व कोई अवमानना नहीं की हैं। अतः निवेदन है कि हम विपक्षीगण ने न्यायालय की कोई अवमानना नहीं की है तो कार्यवाही किस बात की हैं।
4. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रार्थी पीडब्ल्यू 1 श्री भंवरलाल का पेश किया। विपक्षी द्वारा साक्ष्य विपक्षी डीडब्ल्यू 1 श्री श्यामलाल, डीडब्ल्यू 2 श्री देवीलाल, डीडब्ल्यू 3 श्री हिरालाल के शपथ पत्र पेश किये।

5. प्रकरण में दस्तोवजी साक्ष्य के रूप में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 01/10 प्रदर्श 1, प्रकरण सं. 12/10 आदेशिका दिनांक 14.01.2010 अन्तरिम टी.आई. की नकल प्रदर्श 2, टी.आई. निर्णय दिनांक 19.07.2010 प्रदर्श 3, अवमानना प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 32/10 प्रदर्श 4, थानाधिकारी मावली द्वारा एफ.आर. की प्रति प्रदर्श 5 एवं एफ.आई.आर. की प्रति प्रदर्श 6, भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी.आई. पालना का प्रदर्श 7, थानाधिकारी मावली द्वारा जांच रिपोर्ट प्रदर्श 8, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मावली के निर्णय दिनांक 29.06.2013 प्रदर्श 9 हैं।
6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/विपक्षीगण के तर्क सुने। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण सं. 12/10 अनवान भंवरलाल बनाम तुलसीराम के आदेशिका दिनांक 14.01.2010 से आराजी नम्बर 1224 पर अन्तरिम टी.आई. जारी की गई जो प्रदर्श 2 हैं। उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 19.07.2010 जो प्रदर्श 3 हैं से आराजी नम्बर 1224 के 1/3 हिस्से रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु कन्फर्म की गई। विपक्षीगण न्यायालय के आदेश की लगातार अवहैलना करने व स्थगन की पालना नहीं करने से प्रार्थी द्वारा अवमानना का प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 01/10 व 32/10 का पेश किया, जो प्रदर्श 1 व 4 हैं, उक्त दोनो ही प्रार्थना पत्र को कन्सोलिडेट किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा लगातार उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने से प्रार्थी द्वारा थानाधिकारी मावली में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे एफ.आई.आर दर्ज होकर चालान पेश हो चुका है। इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर विपक्षीगण पर 107, 116 जा.फौ. व 122 जा.फौ. की कार्यवाही भी की हुई हैं। उक्त आराजीयात बाबत् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मावली के प्रकरण सं. 254/12 निर्णय दिनांक 29.06.2013 द्वारा दण्डित किया गया हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मावली के

प्रकरण सं. 735/12 निर्णय दिनांक 1.12.15 से भी विपक्षीगण को दोषी पाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली के प्रकरण सं. 286/12 निर्णय दिनांक 26.09.2016 से विपक्षीगण को दोषी पाया जाकर दण्डित किया गया हैं। उक्त सभी कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सं.1224 पर स्थगन के बावजूद लगातार दखलन्दाजी कर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने के कारण उक्त कार्यवाही की गई हैं। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2010 से स्पष्ट रूप से आराजी नम्बर 1224 के 1/3 हिस्से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने के लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ हैं। पाबंद किया जाने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना नहीं कर उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थी से लडाई झगडे करते आ रहे है व लगातार कोर्ट के निर्णय की पालना नहीं कर न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही हैं। विपक्षी सं. 1 श्यामलाल द्वारा भी अपने मुख्य परिक्षा के शपथ पत्र के जिरह में कोर्ट से सजा होने की बात को स्वीकार किया हैं एवं आगे अपील करने का भी कथन किया हैं एवं अन्य प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा पाबंद किया जाने पर पाबंद होने की बात को स्वीकार किया हैं। न्यायालय की कार्यवाही एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं विपक्षी द्वारा पाबंद भी होना एवं पाबंद होने के पश्चात भी लगातार उक्त मामले में वादग्रस्त आराजीयात को लेकर विवाद करना, न्यायालय आदेश की स्पष्ट अवहेलना होना जाहिर होता हैं। प्रकरण दिनांक 28.01.2010 से विचाराधीन हैं। विपक्षीगण द्वारा लगातार अवमानना करने के बाद भी विपक्षीगण पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो विपक्षीगण के हौसले और बढ़ जायेगें। यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ भी न्याय नहीं होगा। विपक्षीगण द्वारा प्रकरण की लगातार अवमानना करने से प्रकरण में विपक्षीगण को न्यायालय आदेश की अवमानना का दोषी पाया जाता हैं। चूंकि विवाद भूमि का होने से दोनो ही पक्ष अपना–अपना हक रख रहे हैं जो मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा। इसलिए विपक्षीगण को दिये जाने वाले दण्ड में नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इसलिये विपक्षीगण को हम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा भी उक्त

अवमानना का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2010 को पेश कर अब तक मुकदमे विचारण किया हैं, इसलिए प्रार्थी इस न्यायालय से संवेदना प्राप्त करने का पात्र हैं। प्रकरण सं. 32/10 प्रार्थना पत्र इस पत्रावली के साथ संलग्न होने से पृथक से निर्णय करने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: **आदेश** :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए एवं धारा 151 जा.दी. का आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 श्री श्यामलाल पिता तुलसीराम पालीवाल एवं विपक्षी सं. 2 श्री दिनेशचन्द्र पिता तुलसीराम पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली को न्यायालय आदेश की अवमानना का दोषी पाया जाने से विपक्षी सं. 1 व 2 को 2000/– अक्षरे दौ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अदम अदायगी अर्थदण्ड विपक्षी सं. 1 व 2 को 15 दिन के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जावें। अर्थदण्ड की राशि विपक्षीगण से वसूल कर प्रार्थी को अदा की जावे। विपक्षीगण प्रार्थी के साथ लडाई झगडा नहीं करे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली